<u>न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, मेरठ।</u>

उपस्थितिः–अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे.ओ. कोडः– यू.पी.6240

राज्य

... .अभियोजन

बनाम

निशान्त सिवाच पुत्र छोटेलाल निवासी– ग्राम अम्हैडा आदिपुर पो० सिखैडा थाना गंगानगर, मेरठ।

.....अभियुक्त।

सत्र वाद सं० 1800/2024
मुकदमा अपराध संख्या–237/2022
धारा–307, 504 भा.दं.सं.
थाना– गंगानगर, जिला मेरठ।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र वाद से सम्बन्धित अपराध में पुलिस थाना गंगानगर, जिला मेरठ द्वारा अभियुक्त निशान्त शिवाच के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 237/2022 धारा–307, 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं० 2, मेरठ द्वारा दिनांक 18.11.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया, के आधार पर संस्थित हुआ है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानुसार वादी मुकदमा राहुल चौधरी ने दिनांक 21.08.2022 को समय 01.50 बजे एक हस्तलिखित तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना गंगानगर, जिला मेरठ में इस आशय की प्रस्तुत की कि–

"मैं मेरा नाम राहुल चौधरी S/O ओमवीर सिहं निवासी ग्राम अम्हैडा आदिपुर गोकूल धाम निवासी थाना गंगानगर मे रहने वाला हूँ। दिनाँक 20/8/22 को समय करीब 9.15 रात के समय निशांत सिवाच ग्राम अम्हैडा आदिपुर थाना गंगा नगर मेरठ ने मेरे घर पर आकर मेरे साथ मारपीट तथा मेरी आँख पर पिस्टल की बट मारी। मैंने इसका विरोध किया तो निशांत सिवाच उपरोक्त ने मेरे ऊपर से मार की नियत रखी और पिस्टल से फायर कर दी। मैं बा मुसकिल बचा था। जाते –जाते गाली गलोच करता हुआ भाग गया। मेरा मेडिकल परीक्षण कराकर मेरी रिपोर्ट लिख कर कानूनी कारवाई की जाये। "

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना गंगानगर, जिला मेरठ में दिनांक 21.08.2022 को समय 1.50 बजे अभियुक्त निशान्त शिवाच के विरूद्ध मु०अ०सं० 237/2022

धारा– 307, 504 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि थाना गंगानगर की जी०डी० दिनांकित 21.08.2022 नकल रपट संख्या–009 समय 1.50 बजे में की गयी।

4. प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना पुलिस थाना गंगानगर, जिला मेरठ के उ०नि० सावित कुमार के द्वारा प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा मामले से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त किये गये तथा एफ.आई.आर. लेखक व वादी मुकदमा के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किये तथा विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा विवेचना की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करते हुए तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त निशान्त शिवाच के विरूद्ध धारा– 307, 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. सरकार बनाम निशान्त शिचाव प्रकरण में सक्षम विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं० 6 मेरठ द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण अभियुक्त को अभिलेख की प्रतियाँ धारा 207 दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुसार उपलब्ध कराते हुए प्रकरण को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दिनांक 26.11.2024 के आदेश द्वारा सुपुर्द किया गया।

6. यह प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 12.02.2026 के द्वारा इस न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. मेरठ को विचारण हेतु हस्तान्तरित किया गया।

7. अभियुक्त निशान्त शिवाच के विरूद्ध धारा – 307, 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दिनांक 16.01.2025 को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

8. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए प्रस्तुत न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये गवाहान का चार्ट निम्नलिखित है।

अभियोजन की संख्या	गवाहान का नामक	विवरण	साक्षी
1.	राहुल चौधरी	वादी मुकदमा	पी०डब्लू० 1
2.	सोमिल चौधरी	––	पी०डब्लू० 2
3.	उ०नि० सावित कुमार	विवेचक	पी०डब्लू० 3
4.	का० 2313 जयभगवान शर्मा	एफ०आई०आर० लेखक	पी०डब्लू० 4

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये–

1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू० 1

2.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू० 3
3.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू० 3
4.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू० 4
5.	सम्बन्धित जी०डी०	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू० 4
6.	चौटिल की चिकित्सीय आख्या	प्रदर्श क–6	प्रमाणिकता अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गयी

10. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर दिनांक 05.06.2026 को अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। उक्त अभियुक्त ने उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य न होने का कथन किया है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा रंजीश चलना बताया गया है। उक्त अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। उक्त अभियुक्त ने अपने कथन में कुछ नहीं कहने का कथन किया है।

11. उभय पक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

12. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। लिखित तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा गवाहान व बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में यह बात आयी है कि दिनांक 20.08.2022 को रात में समय 9.15 बजे स्थान वादी के घर के पास गोकुलधाम, अम्हैडा आदिपुर, थाना गंगानगर, जिला मेरठ में अभियुक्त उपरोक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उसपर पिस्टल से फायर किया तथा वादी मुकदमा के साथ ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि वह लोक प्रशान्ति भंग करने को विवश हो सके। विवेचना अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान अंकित कर उक्त तथ्य का उल्लेख किया है। साक्षीगण ने सभी प्रलेखीय साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार प्रमाणित किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दण्डित करने की याचना की गयी है।

13. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया कि उक्त अभियुक्त ने वादी मुकदमा के साथ कोई मारपीट नही की तथा न ही उनके साथ गाली गलौच की गयी है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ कोई अपराध कारित करने से इंकार किया गया है। उक्त अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्यों के साक्षीगण पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 पक्षद्रोही है। अभियोजन अपने प्रकरण को उक्त अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जावे।

14. मेरे द्वारा उक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्कों को धैर्यपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

15. प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या दिनांक 20.08.2022 को रात समय 09.15 बजे स्थान वादी के घर के पास गोकुलधाम, अम्हैडा आदिपुर, थाना गंगानगर, जिला मेरठ में अभियुक्त उपरोक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उसपर पिस्टल से फायर किया तथा वादी मुकदमा के साथ ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि वह लोक प्रशान्ति भंग करने को विवश हो सके।

16. अभियोजन ने **पी०डब्लू० 1** के रूप में राहुल चौधीर को पेश किया है, जो कि इस प्रकरण का वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

" दिनांक 20.08.2022 को रात्रि में समय करीब 9.15 बजे मैं अपने घर ग्राम अम्हेड़ा में था। तभी अचानक एक लड़के ने घर में आकर मेरी आँख पर कुछ मारा मैंने विरोध किया तो उसने पिस्तौल से फायर कर दी तो मैं बाल–बाल बच गया। हमला करने वाला अनजान व्यक्ति था। मैं उसे नहीं जानता। इस घटना की तहरीर लोगों के बताने पर सोमिल चौधरी ने लिख दी थी, सोमिल मौके पर नहीं था। मैंने सोमिल को घटना करने वाले में अभियुक्त हाजिर अदालत निशांत सेवाच का नाम नहीं बताया था। मैंने तहरीर को बिना पढ़े उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। मैं अभियुक्त निशांत सिवाच को जानता हूँ, हमारे गाँव का रहने वाला है। इसने मेरी आँख पर पिस्टल की बट नहीं मारी और न ही मुझे जान से मारने के नियत से गोली चलायी, और न मेरे साथ गाली–गलौच की। घटना करने वाला अनजान व्यक्ति था। " उक्त साक्षी द्वारा तहरीर को कागज सं० 4अ/1 को प्रदर्श –1 के रूप में साबित किया गया।

उक्त साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को उक्त साक्षी से जिरह की अनुमति दी गयी। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई भी तथ्य पत्रावली पर लाने में विफल रहा।

17. अभियोजन ने **पी०डब्लू० 2** के रूप में सोमिल चौधरी को पेश किया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

" दिनांक 20.08.2022 को समय करीब 9.15 बजे रात को मैं घर नही था। मेरा भाई राहुल चौधरी का गाँव के किसी व्यक्ति से झगड़ा होने का पता चला था। सूचना मिलने पर मैं भी थाना गंगानगर पर पहुंच गया था, वहां पर गाँव के एक अनजान व्यक्ति व एक पुलिस वाले ने बोल–बोलकर थाने से बाहर बैठकर एक तहरीर लिखवाई थी जो उन्होंने बोला था तहरीर में मैंने वही लिखा था। मेरी अपने भाई राहुल चौधरी इस झगड़े के संबंध में कोई बात नही हुई थी। "

उक्त साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को उक्त साक्षी से जिरह की अनुमति दी गयी। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई भी तथ्य पत्रावली पर लाने में विफल रहा।

18. अभियोजन ने **पी०डब्लू० 3** के रूप में उ०नि० सावित कुमार को को पेश किया है, जो कि इस प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

" मैं दिनांक 21.08.2022 को थाना गंगानगर पर उपनिरीक्षक के पद नियुक्त था। उक्त दिनांक को मुझे मु०अ०सं० 237/22 अन्तर्गत धारा 307, 504 आईपीसी बनाम निशांत की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश से प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात मुकदमें से संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर दिनांक 21.08.2022 को सीडी–1 किता की जिसमें मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफआईर लेखक कां० जयभगवान शर्मा अंकित किये तत्पश्चात मैं उपनिरीक्षक वादी के घर गया तो वादी घर पर नही मिला, वादी के बयान बाद में अंकित किये जाएगें। दिनांक 24.08.2022 को सीडी–2 किता की जिसमें थाना कार्यालय से मजरुफ राहुल चौधरी का मेडिकल प्रपत्र प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर नकल सीडी किया गया। इसके पश्चात नामित अभियुक्त की तलाश की, वह नहीं मिला व वादी के बयान अंकित करने व निरीक्षण घटनास्थल करने मस्कन पर गया, नहीं मिला। दिनांक 28.08.2022 को सीडी–3 किता किया जिसमें वादी राहुल चौधरी के बयान अंकित किए व वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर दाखिल कागज सं० – 6 अ/1 नक्शा–नजरी को देखकर बताया कि यही नक्शा–नजरी मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। नक्शा नजरी तैयार करने के बाद अभियुक्त के मस्कन पर दबिश दी, किंतु नही मिला। दिनांक 08.09.2022 को सीडी–4, दिनांक 25.09.2022 को सीडी–5, दिनांक 28.09.2022 को सीडी–6, दिनांक 15.10.2022 को सीडी–7, दिनांक 18.11.2022 को सीडी–8, दिनांक 08.12.2022 को सीडी–9, दिनांक 30.12.2022 को सीडी–10, दिनांक 20.01.2023 को सीडी–11, दिनांक 09.02.2023 को सीडी–12, दिनांक 19.02.2023 को सीडी–13, दिनांक 14.03.2023 को सीडी–14 मेरे द्वारा किता किए गये जिसमें इस मुकदमें के नामित अभियुक्त निशांत सिवाच के मस्कन व संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी व मुखबिर मामूर किया गया किंतु अभियुक्त नहीं मिला। दिनांक 02.04.2023 को सीडी–15 किता की गयी जिसमें मुझ उपनिरीक्षक को थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त निशांत सिवाच की अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त हुआ, अवलोकन कर नकल सीडी किया गया। दिनांक 09.04.2023 को सीडी–16 किता की गयी जिसमें मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्त निशांत के जमानत के संबंध में मा० न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अभियुक्त का जमानत नामा व्यक्तिगत मुचलका तैयार किया गया और दो जामिनान के जमानत नामें स्वीकार उन पर जामिनान और अभियुक्त के हस्ताक्षर कराकर अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया और अभियुक्त निशांत के बयान अंकित किये गये एवं समस्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त निशांत सिवाच के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307, 504 आईपीसी में आरोपपत्र संख्या 97/23 प्रेषित किया। आरोपपत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3 अ/1 ता 4 के रुप में दाखिल है जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यही आरोपपत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूँ, आरोपपत्र पर प्रदर्श क–3 डाला गया। "

19. अभियोजन द्वारा परीक्षित इस प्रकरण के साक्षी **पी०डब्लू० 3** उ०नि० सावित कुमार द्वारा इस प्रकरण की विवेचना किये जाने, वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 बनाये जाने तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–3** न्यायालय में प्रेषित किये जाने का कथन किया गया है। उक्त साक्षी पी०डब्लू० 3 तथ्य का गवाह नही है, वह केवल औपचारिक साक्षीगण है। उक्त साक्षी अभियोजन कथानक के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर लाने में विफल रहा है, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो। इन परिस्थितियों में **पी०डब्लू० 3** उ०नि० सावित कुमार का साक्ष्य भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नही कर सकता।

20. अभियोजन ने **पी०डब्लू० 4 का०** के रूप में का० 2313 जयभगवान शर्माको को पेश किया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

" मैं दिनांक 21.08.2022 को थाना गंगानगर पर बतौर सीसी के पद पर तैनात था। उस दिन वादी के द्वारा दी गयी एक हस्तलिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु.अ.सं. 237/2022 अं० धारा 307,504 भा.द.सं. बनाम निशान्त शिवाच के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसका हवाला मेरे द्वारा जीडी न० 09, समय 01.50 बजे दिनांक 21.08.2022 को किया गया।" उक्त साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 व सम्बन्धित जी०डी० को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

21. उक्त सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 4** ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** व जी.डी **प्रदर्श क–5** को साबित किया है। जहां तक अभियोजन के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकद्मा द्वारा अभियुक्त निशान्त सिवाच द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मलकीयत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1991(4) SCC 341** में यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सारभूत साक्ष्य नही है। इसका उपयोग केवल सूचना देने वाले के साक्ष्य का खंडन करने या उसके साक्ष्य की पुष्टी करने के लिए किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त सम्मानित विधि व्यवस्था के आलोक में इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नही कर सकती क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाला साक्षी **पी०डब्लू० 1** द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गयी अपनी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त द्वारा उसके साथ घटना कारित किये जाने से इंकार किया गया है। इस प्रकार केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के नामित होने से ही उसको दोषी नही ठहराया जा सकता क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नही है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नही कर सकती।

22. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रकरण के तथ्यों के केवल 2 साक्षीगण पी०डब्लू० 1 राहुल चौधरी, जो कि उपरोक्त प्रकरण में पीड़ित है व पी०डब्लू० 2 सौमिल चौधरी पेश किये गये है। इस प्रकरण के तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया व जिरह की गई। उक्त साक्षियों से की गयी जिरह के दौरान भी अभियोजन पक्ष कोई भी ऐसा तथ्य पत्रावली पर न ला सका जिससे की इस कथन की पुष्टी हो सके कि दिनांक 20.08.2022 को समय 21.15 बजे स्थान वादी के घर के पास गोकुलधाम, अम्हैडा आदिपुर, थाना गंगानगर, जिला मेरठ में अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उसपर पिस्टल से फायर किया हो तथा वादी मुकदमा के साथ ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हो कि वह लोक प्रशान्ति भंग करने को विवश हो सके ।

23. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण से उपरोक्त पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिसके कारण अभियुक्त की दोषसिद्धि नही की जा सकती। अतः अभियोजन प्रस्तुत मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल हो जाता है।

24. अभियोजन, अभियुक्त निशान्त सिवाच को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 307, 504 भा.दं.सं. को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

25. अतः अभियुक्त निशान्त सिवाच को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा – 307, 504 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

26. अभियुक्त निशान्त सिवाच को सत्र परीक्षण सं० 1800/2024, मुकदमा अपराध संख्या– 237/2022, थाना गंगानगर, जिला मेरठ के मामले में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 307, 504 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जाता है।

27. अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूति को उनकी जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

28. अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार अंकन 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो प्रतिभू इस निर्णय की दिनांक के 15 दिन के भीतर इस आशय से निष्पादित करें कि निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें, अन्यथा उनके प्रतिभूओं व बंधपत्र जब्त किये जा सकेंगे। उक्त प्रतिभू व बंधपत्र विधि द्वारा निर्धारित अवधि तक विधिनुसार ही प्रभावी होगा।

29. इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी मेरठ को इस आशय से प्रेषित की जाये की यदि प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित व्यक्ति को शासन से कोई वित्तीय धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसे नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही अमल में लाये।

30. पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाकः– 09.07.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

दिनाकः– 09.07.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.09 17:34:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court